स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 275, दिनाकः 12-09-2024

जनपद जौनपुर से रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी मोनू यादव गिरफ्तार।

दिनांक 12-09-2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना खुटहन जनपद जौनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 में वांछित रूपये 25,000/- के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी मोनू यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मोनू यादव पुत्र समरनाथ यादव, नि0 डडवा खालिसपुर, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः-

पिलकिछा चौराहा थानाक्षेत्र खुटहन जनपद जौनपुर दिनांक 12-09-2024 समय प्रातः 05.30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम जनपद जौनपुर में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना खुटहन जनपद जौनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 में वांछित रूपये 25,000/- का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी मोनू यादव जनपद जौनपुर के थाना खुटहन के पिलकिछा चौराहे के पास मौजूद है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर वांछित अभियुक्त मोनू यादव को पिलकिछा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह दिनांक 01-02-2024 को अपने साथी अंकित उर्फ आकाश के साथ मिलकर जनपद जौनपुर के थाना खुटहन क्षेत्रान्तर्गत लालबहादुर सोनी के हार्डवेयर की दुकान पर जाकर उनके उपर जान से मारने के नियत से फायर किया था, लालबहादुर सोनी के पेट में गोली लगी थी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गये थे। जिससे मौके पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना खुटहन पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि छित्रेश तिवारी उर्फ छोटू तिवारी पुत्र दुर्गेश तिवारी नि0 चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर व इन्द्रेश तिवारी पुत्र जटाशंकर तिवारी नि0 चौबहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर जो जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध हैं, के द्वारा लालबहादुर सोनी से रंगदारी मांगा गया था। रंगदारी न देने पर मोनू यादव व अंकित उर्फ आकाश को साहिल तिवारी द्वारा असलहा उपलब्ध कराया गया था, जिसके उपरान्त मोनू यादव व अंकित द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। अंकित उर्फ आकाश को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त मोनू यादव घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू यादव के विरूद्ध जनपद जौनपुर व सुलतानपुर में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी सहित कई अभियोग पंजीकृत है।

<u>मोनू यादव का अपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	66/22	392, 411 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
2	124/22	307 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
3	127/22	3/25 आर्म्स एक्ट	बदलापुर	जौनपुर
4	59/22	387, 452, 504, 506 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
5	48/22	323, 325, 504, 506 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
6	108/22	147, 323, 427, 452, 504, 506 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
7	56/23	379, 411 भादवि	मछलीशहर	जौनपुर
8	56/23	379, 411 भादवि	करौदीकला	सुलतानपुर
9	57/23	307 भादवि	करौदीकला	सुलतानपुर
10	49/23	394, 411 भादवि	करौदीकला	सुलतानपुर

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त मोनू यादव को मु0अ0सं0 30/2024 धारा 307, 386, 504, 506 भा0द0वि0 में थाना खुटहन जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।